



नगर निगम दक्षिण, जोधपुर

पोलीटेक्नीक कॉलेज परिसर के अन्दर, गौरव पथ, जोधपुर



क्रमांक:- 8273

दिनांक:- 28/9/2020

IB.T(B) 48/2020-21

श्री उमेश जैन पुत्र श्री परमचन्द जैन
मूल्यपत्र सं. 395, द्वितीय सी रोड
रिदारपुरा, जोधपुर।

::- भवन निर्माण आदेश :-

विषय :- व्यवसायिक भवन निर्माण प्रयोजनार्थ स्वीकृति हेतु।
प्रमाण :- आपका आवेदन पत्र दिनांक 26.02.2020।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रस्तावित गठित भवन निर्माण अनुमति समिति की बैठक दिनांक 27.07.2020 के प्रस्ताव संख्या 14 के अन्तर्गत अनुमोदित मानचित्र के अनुसार व्यवसायिक भवन निर्माण स्वीकृति निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

1. बालकॉनी व छज्जे का निर्माण नहीं करेगे।
2. पट्टीसी की बिल्डिंग लाईन को पथावत रखेंगे।
3. मानचित्र एवं पट्टे में यदि प्लुमरी दर्शायी गई है तो उसे खुली रखेंगे।
4. खालसा भूमि पर किसी प्रकार की तामीर का निर्माण नहीं करेंगे।
5. स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में यह निर्माण स्वीकृति शून्य होगी।
6. वर्षा जल संग्रहण संरचना का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
7. भविष्य में बकाया राशि निकालने पर जमा करवाने को बाध्य रहेंगे।
8. भवन में नियमानुसार अग्नि शान्त सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी।
9. दी गई भवन निर्माण स्वीकृति के विपरीत निर्माण/उपयोग होने पर यह निर्माण स्वीकृति शून्य मानी जायेगी।
10. भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु दी गई अनुज्ञा को स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जायेगा।

स्वीकृति का प्रकार	व्यवसायिक निर्माण
अनुमत निर्माण	बी+जी+एम+2
कुल ईत्रफल	155.28 वर्गगज

11. निर्माण स्थल पर 4'x4' के बोर्ड पर स्वीकृत मानचित्र व आदेश की प्रति को प्रदर्शित करना होगा एवं निर्माण पूर्ण साक्ष्यानी पूर्वक करना होगा, किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।

12. भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत नक्शों के अनुरूप निर्माण किये जाने के दौरान किसी भी प्रकार का मलबा अथवा बिल्डिंग मेटेरियल सड़क पर नहीं डाला जावेगा। यदि किसी भी प्रकार का मलबा/बिल्डिंग मेटेरियल भू-स्वामी द्वारा सड़क पर डाला जाता है तो भवन निर्माणकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् पालिका द्वारा जारी निर्माण स्वीकृति को निरस्त की जा सकेगी।

13. भवन निर्माणकर्ता द्वारा 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के मूलप्लन पर निर्माण आरम्भ किये जाने से पूर्व साईट पर कम से कम एक शौचालय का निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा तथा शौचालय की संख्या प्रति 10 श्रमिक पर एक शौचालय निर्माण करना आवश्यक होगा। ताकि निर्माण कार्य में लगे मजदूर उसका प्रयोग कर सकें। यदि भवन निर्माणकर्ता द्वारा शौचालय का निर्माण नहीं किया जाता है तो निर्माण स्वीकृति को निरस्त किया जा सकेगा।

14. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में निर्मित वाद गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार के निर्णयधीन रहेगा तथा वर्तमान-भविष्य में मास्टर प्लान के अनुरूप नियमों/उपनियमों को मानने के लिये सदैव बाध्य रहेंगे।

यह स्वीकृति तीन वर्ष के लिये वैध है।

आवेदन शुल्क- 1,563/- जांच शुल्क- 4,000/- राशि- 6,213/- जरिये रसीद संख्या 9069/2010 दिनांक 26.02.2020, भवन निर्माण शुल्क- 3,000/- बी.एस.यू.पी. शुल्क- 13,881/- मलबा शुल्क- 1,000/- विकास एवं संचारण शुल्क- 33,192/- भवन पूर्णता प्रमाण पत्र शुल्क- 10,658/- उपकर- 45,065/- बैटरोगेन्ट लेवी- 49,16,920/- कुल राशि- 50,29,716/- जरिये रसीद संख्या 9069/6144 दिनांक 18.09.2020, सुरक्षा व अमानत राशि- 5,000/- जरिये रसीद संख्या 9069/6146 दिनांक 18.09.2020, पार्किंग शुल्क- 46,25,000/- जरिये रसीद संख्या 9069/6124 दिनांक 18.09.2020 को निगम कोष में जमा करा यूडी कर- 76,522/- जरिये रसीद संख्या 9069/6124 दिनांक 18.09.2020 को निगम कोष में जमा करा रिदेये गये हैं, साथ ही आपको आदेशित किया जाता है कि दी गई स्वीकृति के विपरीत निर्माण कार्य करने पर आपके विरुद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194/236/245 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी। भवन निर्माण के पश्चात् मलबा सड़क पर पाया गया तो जुर्माना के रूप में 10,000/- (अधरें दस हजार रुपये) वसूल किये जायेंगे।

9
उपायुक्त
नगर निगम दक्षिण, जोधपुर